न्यायालयः–विशिष्ठ न्यायाधीश अ.जा./ज.जा.(अ.नि.प्र.) बारां, जिला–बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः– **लोकेश कुमार शर्मा, (RJS–DJ CADRE)**

निर्णय दिनांकः– **05.06.2026**

सेशन प्रकरण संख्याः– **56/2018**

सी.आई.एस. नंबरः– **57/2018**

सी.एन.आर. नंबरः– **RJBR050001112018**

प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्याः– 294/2017, **पुलिस थानाः– अन्ता**, जिला–बारां

अपराध अंतर्गत धाराः– 427, 504, 34 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 3(1)(r)(s) अनुसूचित जाति/जनजाति(अ.नि.) अधिनियम 1989

PART–I

A

परिवादी	राज्य सरकार
प्रतिनिधित्व द्वारा	विशिष्ठ लोक अभियोजक– श्री हरिओम मीणा
अभियुक्त/अभियुक्तगण	1. मूर्ति बाई पत्नी रामेश्वर, उम्र–40 साल (वर्तमान उम्र–48 साल), 2. कपिल पुत्र रामेश्वर, उम्र–22 साल (वर्तमान उम्र–30 साल), निवासीगण– बाबा खेमजी बरड़िया अन्ता, थाना–अन्ता, जिला–बारां (राज.)
प्रतिनिधित्व द्वारा	विद्वान अधिवक्ता– श्री कमलेश दुबे

B

अपराध की दिनांक	12.07.2017
प्रथम सूचना रिपोर्ट की दिनांक	12.07.2017
आरोप पत्र की दिनांक	07.04.2018
आरोपों की विरचना की दिनांक	24.10.2018
साक्ष्य प्रारंभ करने की दिनांक	24.10.2018
निर्णय सुरक्षित किये जाने की दिनांक	05.06.2026
निर्णय की दिनांक	05.06.2026
दण्डादेश, यदि कोई हो, की दिनांक	05.06.2026

C– अभियुक्त/अभियुक्तगण का विवरणः–

अभियुक्त की श्रेणी	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की तिथि	जमनात पर रिहा होने की तिथि	अपराध अंतर्गत धारा	दोषमुक्ति या दोषसिद्धि	अधिरोपित दण्डादेश	धारा 428 दं.प्र.सं. के तहत अभिरक्षा में व्यतीत की गयी अवधि
01	मूर्ति बाई	04.08.2017	05.08.2017	427, 504, 34 भा.दं.सं. व धारा 3(1)(r)(s) Sc/St act	धारा 427, 504, 34 भा.दं.सं. में दोषसिद्ध व शेष धाराओं में दोषमुक्त	पैरा संख्या 37 व 38 के अनुसार	दिनांक 04.08.2017 से 05.08.2017 तक
02	कपिल	21.08.2017	21.08.2017	427, 504, 34 भा.दं.सं. व धारा 3(1)(r)(s) Sc/St act	धारा 427, 504, 34 भा.दं.सं. में दोषसिद्ध व शेष धाराओं में दोषमुक्त	पैरा संख्या 37 व 38 के अनुसार	निल

PART–II

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालयीन साक्ष्य की सूचीः–

A. अभियोजन साक्ष्यः–

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सकीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
P. W. 01	घनश्याम	परिवादी/प्रत्यक्षदर्शी साक्षी
P. W.02	बाबूलाल	प्रत्यक्षदर्शी साक्षी
P. W.03	रामभरोस	प्रत्यक्षदर्शी साक्षी
P. W.04	गिरीश गुप्ता	प्रत्यक्षदर्शी साक्षी
P. W.05	राजेन्द्र शर्मा	प्रत्यक्षदर्शी साक्षी
P. W.06	गोविन्द सिंह	अनुसंधान अधिकारी/पुलिस साक्षी

B. प्रतिरक्षा साक्ष्य, यदि कोई हो तो–

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सकीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
निल	निल	निल

C. न्यायालय साक्ष्य, यदि कोई हो तोः–

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सकीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
निल	निल	निल

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालय प्रदर्श की सूचीः–

A. अभियोजन प्रदर्श–

क्र.सं.	प्रदर्श संख्या	विवरण
01	प्रदर्श पी.01/PW.01	तहरीरी रिपोर्ट
02	प्रदर्श पी.02/PW.01	चाक एफ.आई.आर.
03	प्रदर्श पी.03/PW.01	नक्शा मौका
04	प्रदर्श पी.04/PW.01	मुनाफे की लिखापढ़ी
05	प्रदर्श पी.05 व पी.06/PW.06	घटनास्थल के फोटोग्राफ
06	प्रदर्श पी.07/PW.01	जाति प्रमाण पत्र परिवादी
07	प्रदर्श पी.08 व 09/PW.06	फर्द गिरफ्तारी अभियुक्तगण

B. प्रतिरक्षा प्रदर्श–

क्र.सं.	प्रदर्श संख्या	विवरण
निल	निल	निल

C. न्यायालय प्रदर्श–

क्र.सं.	प्रदर्श संख्या	विवरण
निल	निल	निल

D. वस्तु प्रदर्श–

क्र.सं.	प्रदर्श संख्या	विवरण
निल	निल	निल

PART–III

1– प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 12.07.2017 को परिवादी घनश्याम द्वारा थाना अन्ता पर उपस्थित होकर एक तहरीरी रिपोर्ट इस आशय की पेश की

कि उसने गिरीश गुप्ता का खेत जो बिशनखेड़ी रोड़ पर खाड़ी के पास स्थित है, को एक वर्ष के लिए मुनाफा काश्त पर जोत रखा है। जिस पर आज दिनांक 12.07.2017 को लगभग 09.30 से 10.00 बजे के बीच उसके मजदूरों द्वारा तार बाड़ा करवा रहा था। इतने में मूर्ति बाई पत्नी रामेश्वर एवं रामेश्वर के लड़के कपिल व विधि के विरुद्ध संघर्षरत बालक व अन्य हाथों में धारदार हथियार सरिया, कूटिया व लकड़ी लेकर आये। इसी बीच गिरीश गुप्ता व राजेन्द्र शर्मा भी वहां आ गये। उक्त व्यक्ति कूटिया लेकर आये और उससे कहा कि कोल्टे आज तुझे जान से खत्म कर देते हैं। उसको उक्त चारों व्यक्ति जातिसूचक शब्दों से अपमानित करते रहे व खेत में आकर तारबन्दी को तोड़ दिया और उसके ऊपर धारदार हथियार से विधि के विरुद्ध संघर्षरत बालक ने हमला किया, जिसे गिरीश गुप्ता एवं राजेन्द्र शर्मा ने पकड़ लिया व उसका बीच–बचाव करते हुए उसे बचाया। उसके बाद गिरीश गुप्ता व राजेन्द्र शर्मा में भी गाली–गलौंच की। बाद में मूर्ति बाई ने कहा कि आज के बाद तुम लोगों में से कोई खेत पर आया तो मैं अपने कपड़े फाड़ कर बलात्कार के जुर्म में फंसा दूंगी तथा तीनों लड़के यह कहते हुए कि तुम मेरे घर के सामने से निकलोगे तो वहीं तुम्हारे हाथ–पैर काट देंगे। पुलिस को फोन द्वारा सूचना देते ही यह लोग वहां से ट्रेक्टर लेकर भाग गये,...........इत्यादि।

2– उक्त तहरीरी रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना अन्ता द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या **294/2017** अपराध अंतर्गत धारा **427, 504, 34 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 3(1)(S) अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989** में प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया।

3– बाद आवश्यक अनुसंधान दिनांक 07.04.2018 को अभियुक्तगण मूर्ति बाई व कपिल के विरूद्ध अंतर्गत धारा **427, 504, 34 भारतीय दण्ड संहिता व धारा** 3(1)(r)(s) **अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989** का अपराध प्रमाणित मानते हुए आरोप पत्र इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया तथा **विधि के विरुद्ध संघर्षरत बालक के विरुद्ध आरोप पत्र किशोर न्याय बोर्ड बारां** में प्रस्तुत किया गया।

4– बहस चार्ज सुनी जाकर अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण मूर्तिबाई व कपिल के विरूद्ध अंतर्गत धारा **427, 504, 34 भारतीय दण्ड संहिता व धारा** 3(1)(r), 3(1)(s) **अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989** के आरोप विरचित करने के आधार होने के कारण पृथक से उक्त धाराओं में आरोप विरचित कर अभियुक्तगण को सुनाये व समझाये गये तो अभियुक्तगण द्वारा आरोप सुन व समझकर अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही।

5– साक्ष्य अभियोजन समाप्ति के पश्चात् अभियुक्तगण को अंतर्गत धारा 313 दं0 प्र 0 सं0 के तहत परीक्षित किया गया, जिसमें अभियुक्तगण ने अभियोजन साक्ष्य को गलत बताया और झूठा फंसाना कथन किया और साक्ष्य सफाई पेश नहीं करना व्यक्त किया, जिस पर साक्ष्य प्रतिरक्षा बंद की गयी।

6– बहस अंतिम उभय पक्षकारान सुनी गई व पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

7– प्रकरण के निस्तारण के लिए न्यायालय के समक्ष मुख्य रूप से विचारणीय बिन्दु यह रहे हैं कि:–

(i) आया कि अभियुक्तगण द्वारा सामान्य आशय के अग्रसरण में परिवादी घनश्याम के कब्जेशुदा खेत में लगी तारबंदी को तोड़ कर रिष्टि कारित की?

(ii) आया कि अभियुक्तगण द्वारा सामान्य आशय के अग्रसरण में परिवादी को लोक शांति भंग करने को प्रकोपित करने के आशय से गाली–गलौंच कर अपमानित किया?

(iii) आया कि अभियुक्तगण द्वारा परिवादी घनश्याम को अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्य के रूप में अपमानित करने के उद्वेश्य से लोक दृष्टि में आने वाले स्थान पर गाली–गलौंच कर अपमानित या अभित्रस्त किया एवं जाति सूचक शब्दों से सम्बोधित किया?

(iv) यदि हां तो उसका उचित दंडादेश क्या होगा?

8– उक्त विचारणीय बिन्दुओं के संदर्भ में दौराने बहस विद्वान विशिष्ठ लोक अभियोजक का कथन रहा है कि पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्व आरोपित अपराध संदेह से परे प्रमाणित है। अतः अभियुक्तगण को आरोपित अपराधों में दोषसिद्ध किए जाने का निवेदन किया।

9– इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण का बहस में तर्क रहा है कि अभियुक्तगण को प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। साक्ष्य से दोनों पक्षों के बीच सीमा संबंधी विवाद होना प्रकट हो रहा है। विवादित कृषि भूमि गिरीष गुप्ता या उसकी पुत्री से संबंधित होना बताया गया है, लेकिन प्रकरण को गंभीर बनाने के लिए घनश्याम के मार्फत रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है। घटनास्थल का नक्शा मौका बनाते समय राजस्व कर्मचारियों को मौके पर नहीं बुलाया गया है। अभियुक्तगण द्वारा परिवादी की तारबंदी को तोड़ा गया हो, इस तथ्य की किसी स्वतंत्र गवाह के कथनों से पुष्टि नहीं हो रही है। केवल हितबद्ध गवाहों ने सीमा विवाद के चलते अभियुक्तगण द्वारा तारबंदी तोड़ना बताया है। गवाहान के बयानों में परस्पर अंतर और विरोधाभास भी है। पत्रावली पर ऐसी कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिससे अभियुक्तगण के विरूद्व आरोपित अपराध प्रमाणित होता हो। अतः अभियुक्तगण को आरोपित अपराध से दोषमुक्त किये जाने का निवेदन किया।

10– उभय पक्ष के तर्कों पर मनन किया गया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

11– प्रकरण में अभियोजन की ओर से जो साक्ष्य प्रस्तुत हुई है, उसमें पी.ड. 01 घनश्याम जो स्वयं परिवादी है, ने अपने बयानों में कथन किया है कि आज से करीब 6–7

साल पहले गिरीश गुप्ता से 05 बीघा जमीन उसके खाते के अड़वा को उसने 42,000/– रुपये में एक साल के लिए मुनाफे पर ली थी। वह और मजदूर रामभरोस व बाबूलाल उस खेत के तार से बाड़ाबंदी कर रहे थे। **वहां पर मूर्ति बाई, कपिल, विधि के विरुद्ध संघर्षरत बालक और विशाल सभी हाथों में कूटिया लेकर आये और उसे उस खेत में तारबंदी करने से मना किया। उसने लकड़ी तार लगाने के लिए गाड़ी थी वो भी उखाड़ के फैंक दी और उसे जातिसूचक शब्दों से गालियां निकाल कर अपमानित किया।** मौके पर घटना के समय खेत का मालिक गिरीश गुप्ता और राजेन्द्र शर्मा भी थे। उसने इनको फोन करके मौके पर ही बुला लिया था और इनके साथ भी इन लोगों ने गालियां निकाली। जिरह में इस गवाह ने कथन किया है कि **उससे मां–बहिन की गंदी–गंदी गालियां निकाली थीं। उन्होंने गिरीश जी को भी मां–बहिन की गालियां दी।** यह कहना सही है कि खेत गिरीश जी का ही था, परंतु गिरीश जी ने रिपोर्ट नहीं करवायी थी। मूर्ति बाई यह कहती थी कि यह उसका खेत है, इसे वह हांकने नहीं देगी और कहती थी कि तारबन्दी नहीं करने दूंगी। उसने जमीन की नकल नहीं देखी थी। यह कहना गलत है कि झगड़ा गिरीश जी व मूर्ति बाई का हो, परंतु धारा–3 एससी/एसटी एक्ट का मुकदमा बनाने के कारण उसके द्वारा झूठी रिपोर्ट गिरीश जी के प्रभाव में आके करवायी हो।

12– पी.ड. 02 बाबूलाल जो घटना के समय मौके पर मजदूर होना बताया है, ने अपने बयानों में कथन किया है कि सुबह करीब 9–10 बजे हम घनश्याम के साथ उनके मुनाफे काश्त की जमीन 05 बीघा जो उन्होंने गिरीश गुप्ता से मुनाफे पर ली थी, उसमें थूनिया गाड़ कर तार खीचं रहे थे। **इसी दौरान मूर्ति बाई और उसके लड़के विधि के विरुद्ध संघर्षरत बालक, विशाल ट्रेक्टर लेकर आये। ट्रेक्टर को उनके खेत पर खड़ा किया और कूटिया और लकड़ियां लेकर हमारे पास आये और हमसे तारबंदी करने की मना की व थूनियां उखाड़ने लगे** और घनश्याम के साथ जातिसूचक गालियां दी और मारने–पीटने को आमादा हो गये। जिरह में इस गवाह ने कथन किया है कि **उसे मूर्ति बाई के सिर्फ एक लड़के का नाम याद है। दूसरे का नाम उसे याद नहीं है। विवाद जमीन को लेकर हुआ था**। दोनों पक्ष ही जमीन को अपना–अपना बता रहे थे। यह कहना सही है कि उसने जमीन कभी नापी नहीं है, न ही उसके सामने कोई नापतौल हुई है।

13– पी.ड. 03 रामभरोस भी घटनास्थल पर बतौर मजदूर उपस्थित था, जिसने अपने बयानों में कथन किया है कि सुबह करीब 9–10 बजे हम घनश्याम के साथ उनके मुनाफा काश्त की जमीन 05 बीघा जो उन्होंने गिरीश गुप्ता से मुनाफे पर ली थी, उसमें थूनियां गाड़ कर तार खींच रहे थे। इसी दौरान गुर्जरों की एक औरत और उसके लड़के विधि के विरुद्ध संघर्षरत बालक और एक लड़का ट्रेक्टर लेकर आये। ट्रेक्टर को उनके खेत पर खड़ा किया और कूटियां और लकड़ियां लेकर हमारे पास आये और हमसे तारबंदी करने की मना की व थूनिया उखाड़ने लगे और घनश्याम के साथ जातिसूचक गालियां दी और मारने पीटने को आमदा हो गये। जिरह में इस गवाह ने कथन किया है कि विवाद जमीन को लेकर

हुआ था। दोनों पक्ष ही जमीन को अपना–अपना बता रहे थे। घनश्याम ने गिरीश जी गुप्ता को फोन किया था कि मूर्ति बाई वगैरह जमीन को अपना बता रहे हैं, वह स्वयं जमीन अपनी बता रहा है। गिरीश जी ने कहा कि आप तो आ जाओ वह पुलिस को फोन करके के कार्यवाही करवा देगा।

14– पी.ड. 04 गिरीश गुप्ता ने अपने बयानों में कथन किया है कि अन्ता के माल में उसकी 5 बीघा जमीन है जिसके खसरा नम्बर आज उसे ध्यान नहीं है। यह जमीन उसकी बेटी रतिका के नाम है। यह जमीन सन् 2017–18 में उसने मुनाफे पर घनश्याम महावर को 21,000 रूपये में जुपाई थी जिसकी लिखापढी हमने एक कागज पर करवाई थी और उसी पर ही पैसे प्राप्त करने की रसीद लिखी। दिनांक 12.07.2017 को उसके पास सुबह 10–11 बजे करीब घनश्याम का फोन आया। **वह खेत पर कांटो की बाड़ करने के लिए थूनिया गाड़ रहा है और वहां पर मूर्ति बाई, विधि के विरुद्ध संघर्षरत बालक और कपिल तीनों आये, जिन्होंने उसकी आधी थूनियों को तोड़ दिया है और कहा कि कोल्टा तूं कौन होता है इस पर थूनिया गाड़ने वाला, यह खेत तुम्हारा नहीं है**। फिर वह और राजेन्द्र दोनों खेत पर गये तो वहां जाकर देखा कि थूनिया टूटी हुई पड़ी थी। मूर्ति बाई और उसके दोनों बच्चे विधि के विरुद्ध संघर्षरत बालक और कपील थोड़े दूर खड़े हुये थे, जैसे ही हम घनश्याम के पास पहुंचे तो उक्त तीनों ने हमसे भी भद्दी गालियां निकाली और घनश्याम को कहा कि कोल्टे तूं हमारे घर के सामने से निकलता है, तेरे हाथ पैर काट देंगे और जान से मार देंगे। वहां से उसने पुलिस को सूचना दी। पुलिस की गाड़ी आई तो उसे देखकर घनश्याम को वापिस जान से मारने की धमकी देकर वहां से भाग गये और ट्रेक्टर को ले गये। जिरह में इस गवाह ने कथन किया है कि **खरीदने के बाद उसने पैमाईश करवायी थी, लेकिन पैमाईश रिपोर्ट वह साथ लेकर नहीं आया है।** पुलिस ने उससे पैमाईश रिपोर्ट मांगी या नहीं उसे नहीं पता। 10 बजे फोन आया फिर हम लगभग 11 बजे घटनास्थल पर पहुंच गये। पुलिस की गाड़ी उसके फोन करने के बाद मौके पर आ गयी थी।

15– पी.ड. 05 राजेन्द्र शर्मा जो गिरीश गुप्ता के साथ मौके पर गया था, ने अपने बयानों में कथन किया है कि उसके पास गिरीश जी आये थे। उन्होंने कहा कि खेत पर चलते है, क्योंकि जिसको अपन ने जमीन जुपाई है, उसमें थूनिया गाडी है जिनको उखाड़ कर किसी ने फैंक दी। हम दोनों खेत पर गये। वहां पर घनश्याम, मूर्ति बाई और मूर्तिबाई के दोनों लड़के विधि के विरुद्ध संघर्षरत बालक और कपिल आपस में गाली गलौच कर रहे थे और घनश्याम को कोल्टे, चमारिया आदि की गालीयां निकाल रहे थे। दो मजदूर बाबूलाल और रामभरोस पास में थूनिया गाड़ने का काम कर रहे थे। हमनें इनको समझाया कि मत लड़ो। तो उन्होंने कहा कि यह जमीन तो हमारी है, हम ही काबिज रहेंगे। गिरीश जी ने समझाया तो गिरीश जी को भी गालियां निकालने लग गये। जिरह में इस गवाह ने कथन किया है कि **घटनास्थल सार्वजनिक स्थान नहीं था, निजी स्थान था।** उसे विवादग्रस्त स्थल का खसरा नंबर याद नहीं है। गिरीश जी ने विवादग्रस्त खेत स्वंय ने खरीद किया था। यह सही है कि

प्रदर्श पी.01 पर उसके व गिरीश के हस्ताक्षर नहीं हैं। यह कहना गलत है कि गिरीश गुप्ता के खेत के सीमा विवाद को निपटाने के लिए राजनैतिक प्रभाव से मुल्जिमान को दबाने के लिए झूठा मुकदमा दर्ज करवाया हो।

16– पी.ड. 06 गोविन्द सिंह जो प्रकरण में अन्वेषण अधिकारी है, ने दौराने अनुसंधान घटनास्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी.03 बनाना, फरियादी का जाति प्रमाण पत्र लेकर शामिल पत्रावली करना, गवाहान के बयान लेखबद्ध करना बताया है। जिरह में इस गवाह ने कथन किया है कि यह सही है कि प्रदर्श पी.04 किसी स्टाम्प पर नहीं है, दिनांक 10.04.2017 को गिरीश गुप्ता के हस्ताक्षर हैं, कोई प्रमाणीकरण नहीं है। पटवारी या कानूनगो कौ मौके पर पैमाईश करने के लिए बुलाया या नहीं, याद नहीं है। **यह सही है कि विवाद सीमा सम्बन्धी था। यह सही है कि घटनास्थल प्राईवेट जगह थी, सार्वजिनक जगह नहीं थी। नक्शा मौका प्रदर्श पी.03 के आई से जे भाग में जो विवाद बिन्दु बताया है, वो मूर्ति बाई के खेत में थे, डाण्डे मूर्ति बाई के खेत पर ही पड़े थे।** यह कहना गलत है कि मेड़ दोनों काश्तकारों की हो, बल्कि जो मेड़ बनाता है, उसकी होती है। गिरीश गुप्ता के बताये अनुसार उसने मेड़ गिरीश गुप्ता द्वारा बनाना मानी थी।

17– साक्ष्य के उपरोक्त विवेचन के पश्चात हमारा पृथक–पृथक विचारणीय बिन्दुओं के संबंध में विवेचन निम्न प्रकार हैः–

<u>विचारणीय बिन्दु संख्या (i) व (ii)–</u>

18– सुविधा की दृष्टि से उक्त दोनों विचारणीय बिन्दुओं का एक साथ निस्तारण किया जा रहा है। जहां तक अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 427/34, 504/34 भारतीय दण्ड संहिता का आरोप है। इस संबंध में अभियोजन पर यह सिद्ध करने का दायित्व है कि अभियुक्तगण द्वारा सामान्य आशय के अग्रसरण मे परिवादी घनश्याम के कब्जेशुदा खेत में तारबंदी करते समय थूनियां (लकड़ी) उखाड़कर व तोड़कर रिष्टि कारित की तथा परिवादी को शांति भंग करने को प्रकोपित करने के आशय से गाली–गलौंच कर उसे साशय अपमानित किया। इस संबंध में परिवादी द्वारा लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी.01 प्रस्तुत की गयी है, जिसमें दिनांक 12.07.2017 को सुबह 09.30 बजे करीब जब वह मजदूरों से तार वाड़ा करवा रहा था तो अभियुक्तगण का वहां आकर तारबंदी को तोड़ देना और उसके साथ गाली–गलौंच करना बताया है।

19– उक्त परिवादी घनश्याम पी.ड. 01 के रूप में साक्ष्य में परीक्षित हुआ है, जिसने अपने बयानों में रिपोर्ट में अंकित तथ्यों की पुष्टि करते हुए कथन किया है कि वह, मजदूर रामभरोस व बाबूलाल उस खेत पर तार से बाड़ाबन्दी कर रहे थे। वहां पर मूर्ति बाई, कपिल व अन्य हाथों में कूटिया लेकर आये और उसे उस खेत में तारबंदी करने से मना किया। उसने लकड़ी तार लगाने के लिए गाड़ी थी वो भी उखाड़ कर फैंक दी तथा उसे गालियां निकाल कर अपमानित किया। इस प्रकार परिवादी ने अपने बयानों में स्पष्ट रूप से अभियुक्तगण मूर्ति बाई

और कपिल की मौके पर उपस्थिति बतायी है तथा तारबंदी करने के लिए जो लकड़ियां गाड़ी थीं वो उखाड़ कर फैंक देना बताया है।

20– घटना के समय जो मजदूर मौके पर उपस्थित होना बताये हैं, उनमें बाबूलाल पी.ड. 02 के रूप में साक्ष्य में परीक्षित हुआ है, जिसने अपने बयानों में मूर्ति बाई व अन्य का तारबन्दी करते समय मौके पर आकर थूनियां उखाड़ना बताया है। अन्य मजदूर पी.ड. 03 रामभरोस ने भी अपने बयानों में इन तथ्यों की पुष्टि की है। हालांकि उक्त मजदूरों को मूर्ति बाई के अलावा अन्य का नाम पता नहीं होना प्रकट हुआ है, लेकिन इस संबंध में उक्त गवाहों ने अपनी जिरह में स्पष्ट किया है कि उन्हें मूर्ति बाई के सिर्फ एक लड़के का नाम याद है, दूसरे का नाम याद नहीं है। इस प्रकार उक्त दोनों गवाह दूसरे अभियुक्त के नाम की जानकारी नहीं होना बता रहे हैं, लेकिन मूर्ति बाई और उसके लड़कों की उपस्थिति बता रहे हैं। इस संबंध में पी.ड. 01 घनश्याम के बयानों से स्पष्ट हो रहा है कि मूर्ति बाई के साथ–साथ उसका पुत्र कपिल मौजूद था। पी.ड. 04 गिरीश गुप्ता व पी.ड. 05 राजेन्द्र के कथनों से भी मूर्ति बाई के साथ कपिल की मौके पर उपस्थिति प्रकट हो रही है। पी.ड. 02 बाबूलाल व पी.ड. 03 रामभरोस से ऐसी कोई जिरह नहीं हुई है, जिससे उनके बयानों में कोई गंभीर विरोधाभास होना प्रकट होता हो।

21– पी.ड. 04 गिरीश गुप्ता ने परिवादी घनश्याम द्वारा फोन करने पर मौके पर पहुंचना बताया है तथा स्वयं के एवं राजेन्द्र दोनों के खेत पर जाकर देखने पर थूनियां टूटी हुई पड़ी होना और मूर्ति बाई, कपिल व अन्य का दूर खड़े होना बताया है तथा उनके द्वारा गाली–गलौंच भी करना बताया है। उक्त गिरीश गुप्ता के साथ जो राजेन्द्र शर्मा मौके पर पहुंचा था, वह पी.ड. 05 के रूप में साक्ष्य में परीक्षित हुआ है, जिसने भी अपने बयानों में इन तथ्यों की पुष्टि की है। अन्वेषण अधिकारी पी.ड. 06 गोविन्द सिंह ने घटनास्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी.03 बनाया है, जिसमें मेड़ पर X स्थान पर परिवादी द्वारा थूनियां गाड़ कर तारबंदी करना और मेड़ पर गड़ी हुई 10 थूनियों को उखाड़ कर व तोड़ कर खेत में डाल देने का अंकन किया है।

22– अभियुक्तगण के अधिवक्ता की ओर से यह तर्क रहा है कि जो थूनियां मौके पर पड़ी हुई होना बतायी हैं, वे गिरीश गुप्ता या परिवादी के खेत में नहीं हैं, बल्कि स्वयं अभियुक्तगण के खेत में पड़ी होना बतायी हैं। इस प्रकार परिवादी के खेत में कोई विवाद होना प्रकट नहीं हो रहा है। उक्त तर्कों के संबंध में यह विचारणीय तथ्य है कि अभियुक्तगण के विरुद्ध आपराधिक अतिचार करने का कोई आरोप नहीं है, ऐसी स्थिति में यदि उनके द्वारा मेड़ पर लगी हुई थूनियां को उखाड़ कर अपने खेत पर पटक दिया गया है तो केवल इसी आधार पर परिवादी के बयानों पर अविश्वास नहीं किया जा सकता। पी.ड. 04 गिरीश गुप्ता ने मौके के फोटोग्राफ प्रदर्श पी.05 व पी.06 पत्रावली पर प्रस्तुत किये हैं, जिसमें भी थूनियां मौके पर पड़ी होना दर्शित हो रहा है और नक्शा मौका प्रदर्श पी.03 में भी इस तथ्य को अंकित किया गया है। अभियुक्तगण द्वारा परिवादी व मजदूर पी.ड. 02 बाबूलाल व पी.ड. 03

रामभरोस के सामने ही थूनियां उखाड़ना व तोड़ना प्रकट हो रहा है तो उनकी प्रत्यक्ष साक्ष्य पर अविश्वास किये जाने का कोई कारण नजर नहीं आता है।

23– अतः उपरोक्त समस्त विवेचन के अनुसार पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि पी.ड. 01 घनश्याम ने जो जमीन लिखावट प्रदर्श पी.04 के माध्यम से मुनाफा काश्त पर ली थी, उसकी तारबंदी करते समय अभियुक्तगण मूर्ति बाई, कपिल व अन्य द्वारा मौके पर आकर थूनियों को उखाड़ देना और तारबंदी करने से रोक देना बताया है। घटना के समय तारबंदी कर रहे मजदूर पी.ड. 02 बाबूलाल व पी.ड. 03 रामभरोस ने भी इन तथ्यों की पुष्टि की है। घटना के समय पी.ड. 04 गिरीश गुप्ता व पी.ड. 05 राजेन्द्र शर्मा मौके पर पहुंच गये थे, जिन्होंने भी अपने बयानों में इन तथ्यों को बताया है तथा मुल्जिमान द्वारा गाली–गलौंच किये जाने के तथ्य की पुष्टि की है। उक्त दोनों गवाहों से ऐसी कोई जिरह नहीं हुई है, जिससे उनके बयानों में कोई गंभीर विरोधाभास होना प्रकट होता हो।

24– परिवादी पी.ड. 01 घनश्याम ने अपनी जिरह में स्पष्ट किया है कि उसे मां–बहिन की गंदी–गंदी गालियां निकाली थी। पी.ड. 02 बाबूलाल व पी.ड. 03 रामभरोस ने भी अपनी जिरह में अभियुक्तगण द्वारा परिवादी घनश्याम को मां–बहिन की गालियां देना बताया है। इस प्रकार अभियोजन साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि अभियुक्तगण द्वारा तारबंदी के लिए गाड़ी गयी थूनियों को उखाड़ कर व तोड़ कर परिवादी को नुकसान पहुंचा कर रिष्टि कारित की तथा उसे गाली–गलौंच कर साशय अपमानित किया। **अतः अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 427/34, 504/34 भारतीय दण्ड संहिता का आरोप संदेह से परे प्रमाणित करने में सफल रहा है।**

<u>**विचारणीय बिन्दु संख्या (iii)–**</u>

25– जहां तक अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा **3(1)(r)(s) अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989** का आरोप है। इस संबंध में अभियोजन पर यह सिद्ध करने का दायित्व है कि अभियुक्तगण द्वारा परिवादी को लोक दृष्टि में आने वाले स्थान पर अपमानित या अभित्रस्त किया हो एवं जातिसूचक गालियों से सम्बोधित किया हो। इस संबंध में परिवादी पी.ड. 01 घनश्याम ने अपनी रिपोर्ट एवं मुख्य परीक्षण में अभियुक्तगण द्वारा उसे जातिसूचक शब्दों से सम्बोधित करना बताया है, लेकिन इस गवाह ने अपनी जिरह में कथन किया है कि उसे मां–बहिन की गंदी–गंदी गालियां निकाली थीं। उन्होंने गिरीश जी को भी मां–बहिन की गालियां दी थीं। इस प्रकार परिवादी पी.ड. 01 घनश्याम अपने मुख्य परीक्षण में जातिसूचक शब्दों से सम्बोधित करना बता रहा है, लेकिन जिरह में ऐसा कोई कथन नहीं कर रहा है कि अभियुक्तगण द्वारा उसे जातिसूचक शब्दों से सम्बोधित किया हो, बल्कि मां–बहिन की गालियां निकालना बता रहा है। घटना के प्रत्यक्षदर्शी गवाह पी.ड. 02 बाबूलाल व पी.ड. 03 रामभरोस ने भी अपनी जिरह में कथन किया है कि घनश्याम को मां–बहिन की गालियां दी थी थीं। गाली–गलौंच तीनों ने बकी थी। ऐसी स्थिति

में उक्त गवाहों के कथनों से भी अभियुक्तगण द्वारा परिवादी को जातिसूचक शब्दों से सम्बोधित करना प्रकट नहीं हो रहा है।

26– इसके अतिरिक्त यह भी महत्वूर्ण तथ्य है कि घटनास्थल परिवादी का कब्जेशुदा खेत होना बताया है। पी.ड. 05 राजेन्द्र शर्मा ने अपनी जिरह में स्वीकार किया है कि घटनास्थल सार्वजनिक स्थान नहीं था, निजी स्थान था। पी.ड. 06 गोविन्द सिंह ने भी अपनी जिरह में कथन किया है कि यह सही है कि घटनास्थल प्राईवेट जगह थी, सार्वजनिक जगह नहीं थी। जहां घटनास्थल निजी स्थान था तो उक्त गवाहों के कथनों से यह प्रकट नहीं हो रहा है कि वहां पर गांव के अन्य लोग उपस्थित रहे हों और अभियुक्तगण द्वारा लोक दृष्टि में आने वाले स्थान पर परिवादी को अपमानित किया गया हो और जातिसूचक गालियों से सम्बोधित किया हो।

27– धारा **3(1)(r)(s) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989** के आरोप के लिए यह प्रमाणित किया जाना आवश्यक है कि अभियुक्तगण द्वारा परिवादी को लोक दृष्टि में आने वाले स्थान पर जातिसूचक शब्दों से अपमानित किया हो। इस संबंध में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने **सम्मानित न्यायिक दृष्टांत** "**Daya Bhatnagar And Ors. vs State, 109(2004) DLT, 915** के पैरा–19 में यह अवधारित किया है किः–

19. The SC/ST Act was enacted with a laudable object to protect vulnerable section of the society. Sub-clauses (i) to (xv) of Section 3(i) of the Act enumerate various kinds of atrocities that might be perpetrated against Scheduled Castes and Scheduled Tribes, which constitute an offence. However, Sub-clause (x) is the only clause where even offending "utterances" have been made punishable. The Legislature required 'intention' as an essential ingredient for the offence of Insult', "intimidation' and "humiliation' of a member of the Scheduled Casts or Scheduled Tribe in any place within "public view'. Offences under the Act are quite grave and provide stringent punishments. Graver is the offence, stronger should be the proof. The interpretation which suppresses or evades the mischief and advances the object of the Act has to be adopted. Keeping this in view, looking to the aims and objects of the Act, the expression "public view" in Section 3(i)(x) of the Act has to be interpreted to mean that the public persons present, (howsoever small number it may be), should be independent and impartial and not interested in any of the parties. In other

words, persons having any kind of close relationship or association with the complainant, would necessarily get excluded. I am again in agreement with the interpretation put on the expression "public view" by learned brother Mr. Justice B.A. Khan. The relevant portion of his judgment reads as under:

"I accordingly hold that expression within 'public view' occurring in Section 3(i)(x) of the Act means within the view which includes hearing, knowledge or accessibility also, of a group of people of the place/locality/village as distinct from few who are not private and are as good as strangers and not linked with the complainant through any close relationship or any business, commercial or any other vested interest and who are not participating members with him in any way. If such group of people comprises anyone of these, it would not satisfy the requirement of 'public view' within the meaning of the expression used.

28– उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत में प्रतिपादित सिद्धान्तों के प्रकाश में यह स्पष्ट है कि लोक दृश्य में आने वाले किसी स्थान पर परिवादी को अपमानित या अभित्रस्त करने तथा जातिसूचक गालियां से सम्बोधित करने का तथ्य तभी प्रमाणित माना जा सकता है जब किसी स्वतंत्र गवाह ने इस तथ्य की पुष्टि की हो। हस्तगत प्रकरण में अभियोजन की ओर से जो गवाह प्रस्तुत हुए हैं, उनमें पी.ड. 02 बाबूलाल व पी.ड. 03 रामभरोस परिवादी द्वारा नियुक्त या नियोजित मजदूर हैं और इस प्रकार उन्हें स्वतंत्र गवाह नहीं माना जा सकता। पी.ड. 04 गिरीश गुप्ता के द्वारा परिवादी को जमीन मुनाफे काश्त पर दी गयी थी और पी.ड. 05 राजेन्द्र शर्मा उक्त गिरीश गुप्ता का मित्र है, ऐसी स्थिति में यह दोनों गवाह भी हितबद्ध गवाह होना प्रकट हो रहे हैं। अभियोजन की ओर से ऐसा कोई स्वतंत्र गवाह साक्ष्य में परीक्षित नहीं हुआ है, जिसके कथनों से इस तथ्य की पुष्टि हो रही हो कि अभियुक्तगण द्वारा परिवादी को लोक दृष्टि में आने वाले स्थान पर गाली–गलौंच कर अपमानित या अभित्रस्त किया गया हो तथा जातिसूचक शब्दों से सम्बोधित किया गया हो।

29– ऊपर किये गये विवेचन के अनुसार यह स्पष्ट है कि घटनास्थल परिवादी का कब्जेशुदा खेत था, जहां पर गांव के अन्य लोग उपस्थित नहीं थे और इस प्रकार घटना निजी स्थान पर होना प्रकट हो रही है। उक्त घटना के संबंध में स्वयं परिवादी पी.ड. 01 घनश्याम ने अपनी जिरह में स्वीकार किया है कि उसे मां–बहिन की गंदी–गंदी गालियां ही निकाली थीं। पी.ड. 02 बाबूलाल व पी.ड. 03 रामभरोस ने अपनी जिरह में जातिसूचक शब्दों से सम्बोधित करने का कोई कथन नहीं किया है, बल्कि अभियुक्तगण द्वारा मां–बहिन की गाली–गलौंच करना बताया है। पी.ड. 05 राजेन्द्र व पी.ड. 06 गोविन्द सिंह के कथनानुसार घटनास्थल

प्राईवेट जगह थी। किसी स्वतंत्र गवाह द्वारा घटना देखा जाना या अभियुक्तगण द्वारा जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करने की पुष्टि किया जाना भी प्रकट नहीं हो रहा है तो उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत में प्रतिपादित सिद्धान्त के प्रकाश में यह संदेह से परे प्रमाणित नहीं माना जा सकता कि अभियुक्तगण द्वारा परिवादी घनश्याम को लोक दृष्टि में आने वाले स्थान पर गाली–गलौंच कर अपमानित किया हो तथा उसे जातिसूचक शब्दों से सम्बोधित किया गया हो। **अतः उक्त विवेचन के अनुसार अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 3(1)(r)(s) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 का आरोप संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है।**

30– अतः उपरोक्त समस्त विवेचन के अनुसार अभियोजन पक्ष विचारणीय बिन्दु (i) व (ii) को अपने पक्ष में सिद्ध करने में सफल रहा है, किंतु विचारणीय बिन्दु संख्या (iii) को अपने पक्ष में सिद्ध करनें में असफल रहा है। अतः उक्त विवेचन के अनुसार अभियुक्तगण मूर्ति बाई व कपिल को आरोपित अपराध अंतर्गत **धारा 3(1)(r)(s) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989** के आरोपों के संदर्भ में युक्तियुक्त संदेह से परे अभियोज्य साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ दिये जाने के आधार पर दोषमुक्त किया जाना तथा उक्त दोनों अभियुक्तगण को **धारा 427/34, 504/34 भारतीय दण्ड संहिता** के आरोप के लिए दोषसिद्ध किया जाना उचित प्रतीत होता है।

–आदेश–

31– अतः अभियुक्तगण **1. मूर्ति बाई पत्नी रामेश्वर, उम्र–40 साल (वर्तमान उम्र–48 साल), 2. कपिल पुत्र रामेश्वर, उम्र–22 साल (वर्तमान उम्र–30 साल), निवासीगण–बाबा खेमजी बरड़िया अन्ता, थाना–अन्ता, जिला–बारां (राज.)** को आरोपित अपराध अंतर्गत **धारा 3(1)(r)(s) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989** के आरोपों के संदर्भ में युक्तियुक्त संदेह से परे अभियोज्य साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ दिये जाने के आधार पर दोषमुक्त किया जाता है तथा उक्त अभियुक्तगण को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा **427/34, 504/34 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप में दोषसिद्ध घोषित** किया जाता है। सजा के बिन्दु पर पृथक से सुना जाएगा।

(लोकेश कुमार शर्मा)
विशिष्ठ न्यायाधीश,
अ.जा./ज.जा. (अ.नि.) प्रकरण
बारां, जिला बारां (राज.)

32– सजा के बिन्दु पर सुना गया।

33– विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण की ओर से यह तर्क रहा है कि अभियुक्तगण ग्रामीण परिवेश के व्यक्ति हैं तथा लगभग 08 वर्षों से अधिक समय से प्रकरण में अन्वीक्षा भुगत रहे हैं। अभियुक्तगण में से एक अभियुक्त महिला है। अभियुक्तगण के विरुद्ध केवल 10 लकड़ियां उखाड़ने या तोड़ने का आरोप है तो परिवादी को अत्यधिक नुकसान होना नहीं माना जा सकता। अभियुक्तगण का यह प्रथम अपराध है, उनके विरूद्ध पूर्व की कोई दोषसिद्धि नहीं है। इस बाबत अभियुक्तगण की ओर से पृथक–पृथक शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये हैं कि उन्हें पूर्व में किसी प्रकरण में दोषसिद्ध नहीं किया है और न ही उन्होंने किसी मामले में परिवीक्षा का लाभ प्राप्त किया है। अभियुक्तगण पूर्व में न्यायिक अभिरक्षा में भी रह चुके हैं। अतः अभियुक्तगण के प्रति नरमी का रूख अपनाया जाए और उन्हें परिवीक्षा अधिनियम का लाभ प्रदान किया जाए।

34– इसके विपरीत विद्वान विशिष्ठ लोक अभियोजक ने विरोध करते हुए अभियुक्तगण को उचित दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया।

35– उभयपक्षों के तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

36– अभियुक्तगण में मूर्ति बाई महिला है तथा अभियुक्त कपिल नवयुवक है। अभियुक्तगण द्वारा पूर्व में दोषसिद्ध नहीं होने और परिवीक्षा का लाभ नहीं लेने बाबत शपथ पत्र भी पेश किये गये हैं। अभियुक्तगण के विरुद्ध थूनियां या लकड़ियां उखाड़ने का आरोप है। अभियुक्तगण लगभग 08 वर्षों से प्रकरण में अन्वीक्षा भुगत रहे हैं। अतः प्रकरण के समस्त तथ्यों, परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अभियुक्तगण को परिवीक्षा का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

दण्डादेश

37– परिणामतः अभियुक्तगण **1. मूर्ति बाई पत्नी रामेश्वर, उम्र–40 साल (वर्तमान उम्र–48 साल), 2. कपिल पुत्र रामेश्वर, उम्र–22 साल (वर्तमान उम्र–30 साल), निवासीगण– बाबा खेमजी बरड़िया अन्ता, थाना–अन्ता, जिला–बारां (राज.)** को दोषसिद्ध अपराध अंतर्गत **धारा 427/34, 504/34 भारतीय दण्ड संहिता** के आरोप के लिए तुरंत कारावास की सजा से दण्डित करने की बजाए **अपराधी परिवीक्षा अधिनियम की धारा–4** का लाभ इस शर्त के साथ दिया जाता है कि यदि प्रत्येक अभियुक्त **पच्चीस हजार–पच्चीस हजार** रूपये का बंधपत्र व इसी राशि की **एक–एक जमानत एक वर्ष** की अवधि के लिए इस आशय की पेश कर तस्दीक कराए कि उक्त अवधि में वे शांति एवं सद्व्यवहार बनाए रखेंगे, अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेंगे तथा न्यायालय द्वारा तलब करने पर उपस्थित होकर दण्ड भुगतेंगे तो उन्हें परिवीक्षा पर रिहा किया जावे।

38– साथ ही **अपराधी परिवीक्षा अधिनियम की धारा–5** के अन्तर्गत **अभियुक्तगण** को यह भी आदेश दिया जाता है कि प्रत्येक अभियुक्त अभियोजन व्यय के रूप में **800–800/–रुपये कुल 800 X 2 = 1600/–रुपये अक्षरे एक हजार छः सौ रुपये** न्यायालय में जमा कराएगा। **अभियुक्तगण से प्राप्त उक्त सम्पूर्ण अभियोजन व्यय की राशि 1600/–रुपये में से 1000/–रुपये बाद गुजरने मियाद अपील/रिवीजन परिवादी घनश्याम को बतौर क्षतिपूर्ति राशि दी जावे।**

39– चूंकि परिवादी को उक्तानुसार क्षतिपूर्ति राशि दिलाये जाने का आदेश किया गया है। अतः प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत परिवादी को पृथक से कोई क्षतिपूर्ति दिलाए जाने की अनुशंषा किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

40– अभियुक्तगण के न्यायालय में उपस्थिति बाबत् पूर्व के जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं। अभियुक्तगण द्वारा धारा–437 ए दं.प्र.सं. के अन्तर्गत अपीलीय न्यायालय में अपील होने की स्थिति में उपस्थित होने हेतु जमानत मुचलके प्रस्तुत कर तस्दीक करवाए जा चुके हैं, जो निर्णय की दिनांक से 6 माह के लिए प्रवृत्त रहेंगे।

41– प्रकरण में यदि कोई वजह सबूत व मालखाना हो तो बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार निस्तारित किया जावे तथा अपील होने की सूरत में अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार निस्तारित किया जावे।

(लोकेश कुमार शर्मा)
विशिष्ठ न्यायाधीश,
अ.जा./ज.जा. (अ.नि.) प्रकरण
बारां, जिला बारां (राज.)

42– निर्णय आज दिनांक 05.06.2026 को खुले न्यायालय में मेरे द्वारा लिखाया जाकर उद्घोषित, हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित किया गया।

(लोकेश कुमार शर्मा)
विशिष्ठ न्यायाधीश,
अ.जा./ज.जा. (अ.नि.) प्रकरण
बारां, जिला बारां (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by
Date: 2026.06.06 11:26:13 IST